न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 66/2018 दायरा दिनांक : 07.05.2018

उनवान

1— धूलीलाल पुत्र हजारीलाल, जाति भील, निवासी गरबोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— रूघनाथ पुत्र हजारीलाल, जाति भील, निवासी गरबोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3— बीरम पुत्र हजारीलाल, जाति भील, निवासी गरबोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4— पांचीबाई पत्नी कालूलाल पुत्री हजारीलाल, जाति भील, निवासी बटुकखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कल्याण सिंह पुत्री नन्दसिंह, जाति राजपूत, निवासी हथोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :—

1/1— जोरावर सिंह पुत्र कल्याण, जाति राजपूत, निवासी हथोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1/2— महेन्द्र सिंह पुत्री कल्याण, जाति राजपूत, निवासी हथोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1/3— बबलू सिंह कल्याण, जाति राजपूत, निवासी हथोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– भंवर सिंह पुत्र भेरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी हथोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

2/1– शिवराज सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी हथोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2/2– हनुमान सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी हथोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2/3– बंटीसिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी हथोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– शंभू सिंह पुत्र भेरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी हथोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 778/2017 पूर्व मि. नं. 628/03, 210/05, 360/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.04.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम हथेली की जमाबंदी संख्या 2056–59 की खतौनी संख्या नयी 64 पुरानी 64 की आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 14 बिस्वा कुल 2 किता की 9 बीघा को राजहक में सिवाय चक दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित करने, राजस्व रेकार्ड में अमद दरामद करने, खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करने का आदेश दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को न तो सही तरीके से पढ़ा है और सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 ''आया खेवट (खतौनी) संख्या नई 64 पुरानी 64 की आराजी वादीगण के खाते दर्ज है उसका विवेचन और विनिश्चय अपीलांट वादीगण के हक में नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2, 3, 4, 6 का निर्णय वादीगण अपीलांट के हक में किये जाने योग्य है तथा तनकी नम्बर 5, 7 का निर्णय रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध सही पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील आरबीट्री है ज्यूडिशियल नहीं है जिसकी पुष्टि किया जाना नैसर्गित एवं पारदर्शी न्याय के साथ खिलवाड़ होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट वादीगण की माता राधा बाई विधवा के खाते की आराजी थी और वादीगण की माता राधाबाई ही अपनी ओर से उक्त आराजी को कभी स्वयं काश्त करती और कभी किसी अन्य से एवं रेस्पोडेंट

प्रतिवादीगणों से काश्त करवाती थी । अपीलांट की माता राधाबाई का स्वर्गवास दिनांक 07.11.2002 को होने पर वादग्रस्त आराजी अपीलांट वादीगण के नाम दर्ज हुई । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी नम्बर 1, 4, 6, व 7 अपीलांट वादीगण के पक्ष में निर्णीत की है तथा तनकी नम्बर 3, 4, व 5 रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण के पक्ष में अपने अधिकारों से परे जाकर निर्णीत की है । अपीलांट वादीगण के द्वारा रेस्पोडेंट प्रतिवादीगणों को उपरोक्त आराजी का विक्रय, दान एवं वसीयत उनके पक्ष में पारित नहीं की गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर तनकी नम्बर 6 में यह प्रतिपादित किया है कि अपीलांट वादीगणों के खातेदारी अधिकारों के अवसान (निर्वापन) होने से यह आराजी राजहक में निहित हो चुकी है उक्त तनकी नम्बर 6 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अकारण ही अपीलांट वादीगण के विधिक अधिकारों के विरूद्ध तय करने में त्रुटि की है । अपीलांट की माता राधाबाई विधवा एवं अनुसूचित जाति की महिला थी धारा 46 आर टी ए में क्लोज (घ) के तहत उसकी आराजी पर किसी अन्य सवर्ण जाति वाले को किसी भी परिस्थिति में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट धारा 46 (घ) के द्वारा विधवा महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है तथा उसकी आराजी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 46 (घ) पेज 68, एवं धारा 41 पेज 48 व 49, आर आर डी 1991 पेज 428, आर आर डी 1999 पेज 55, आर आर डी 2011 पेज 508, आर आर डी 2018 (एच सी) पेज 23 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मंडल के नियमों की पूर्ण पालना की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किया है । विवादित आराजी को सिवाय चक दर्ज करने का जो आदेश दिया है वह

विधिपूर्ण नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय इस हद तक अपास्त किया जावे ।

हमने द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, पत्रावली के दस्तावेजों का अध्ययन किया गया एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उपरोक्त दावे का निर्णय तनकीवार किया गया है जिसमें तनकी संख्या 5 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा नहीं दी जाती है । अतः तनकी नम्बर 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है । यहां पर राजस्व मण्डल के फुल बैंच के निर्णय का भी उल्लेख किया जाना उचित होगा जिसमें स्पष्ट रूप से उपरोक्त सिद्धांत की पुष्टि की गई है :– यदि कब्जे के आधार पर खाते घोषणा की गई है तो यहां रेवेन्यु बोर्ड के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा निर्णय दिनांक 30.08.2018 का उल्लेख करना उचित होगा कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस प्रकार तनकी संख्या 6 में स्पष्ट रूप से यह विवेचित किया गया कि उपरोक्त विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा पिछले 40–50 सालों से नहीं है । उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त करने की सीमा भी वादीगण की खत्म हो चुकी है । अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 A (1) के परन्तुक 4 के अनुसार कब्जे के अभाव में वादीगण का प्रश्नगत आराजी पर खातेदारी अधिकार का भी अवसान (समाप्त) हो चुके हैं । चूंकि प्रश्नगत आराजी पर वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त/अवसान हो चुके हैं । एवं विवादित आराजी अनुसूचित जाति की होने से धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट से भी बाधित है । इससे प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार विधि विरूद्ध है । इस प्रकार उपरोक्त आराजी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों के समाप्त हो जाने से

अथवा अवसान हो जाने से एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों का कानूनन बाधित होने से विवादित आराजी को राज हक में सिवाय चक दर्ज किये जाने के जो आदेश दिये गये हैं वह इस न्यायालय की दृष्टि में उचित हैं । इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तनकीवार एवं तथ्यों को पूर्ण रूप से विवेचित कर किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.04.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा